पूर्व मंत्री महेश जोशी को मिली को चार दिन की अंतरिम जमानत

- 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी ने किया था गिरफ्तार
- धर्म पत्नी के निधन पर कोर्ट ने 4 दिन की अंतरिम जमानत की मंजूर

जयपुर। जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री महेश जोशी की पत्नी के निधन होने पर कोर्ट ने उन्हे चार दिन की अंतरिम जमानत दी है। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री महेश जोशी को प्रवर्तन निदेशाल (ईडी) ने 9 सौ करोड़ जल जीवन मिशन के आरोप में 24 अप्रेल को गिरफ्तार किया था। जिसकी रिमांड अवधि सोमवार को खत्म होने वाली थी। रिमांड अवधि के दौरान ही उनकी पत्नी कौशल जोशी ने सोमवार को जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल में उपचार दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि महेश जोशी को पीएमएलए मामलों की विशेष अदालल में पेश किया गया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। इसी दौरान मणिपाल हॉस्पिटल में उपचार दौरान उसकी पत्नी कौशल जोशी ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर महेश जोशी के वकील ने कोर्ट में उनकी अंतरिम जमानत याचिका लगाई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उनकी चार दिन की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली।

कोर्ट से चार दिन की अंतरिम जमानत मिलने के बाद पूर्व मंत्री महेश जोशी को कुछ घंटे जयपुर कारागाह में गुजारने पड़े। जिसके बाद दोपहर 3 बजे महेश जोशी स्टेशन रोड स्थित अपने निवास पर पहुंचे। जिसके पश्चाम लगभग साढ़े 4 बजे चांदपोल मोक्षधाम में उनकी पत्नी कौशल जोशी का अंतिम संस्कार किया गया।

बताया जा रहा है कि कौशल जोशी काफी लंबे समय से किडनी की बीमारी से परेशान थी और किडनी फेलियर होने के कारण उन्हे कुछ दिनों पहले ब्रेन हेमरेज हो गया था। जिसके बाद उनका उपचार मणिपाल हॉस्पिटल में चल रहा था। इससे पूर्व किडनी और दूसरे ऑर्गन्स की परेशानी के कारण काफी लंबे समय तक वो सवाई मानसिंह अस्पताल में भी भर्ती रहीं थी। जहां पर उनका काफी लंबा उपचार चला।

बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की हर घर नल पहुंचाने वाली वाली जल जीवन मिशन में वर्ष 2021 में श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी के ठेकेदार पदमचंद जैन और महेश मित्तल ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र दिखाकर जलदाय विभाग से करोड़ों रुपए के चार टेंडर लिए थे। श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी ने फर्जी कार्य प्रमाण पत्रों से पीएचडी की 68 निविदाओं में भाग लिया था। उनमें से 31 टेंडर में एल-1 के रुप में 859.2 करोड़ रुपए के टेंडर हासिल किए थे। जिसके पश्चात करोड़ो के घोटाले का खुलासा होने के बाद एसीबी ने कई भष्ट्र अधिकारियों को दबोचा था। जिसके बाद ईडी ने केस दर्ज कर महेश जोशी और उनके सहयोगी संजय बड़ाया सहित अन्य के ठिकानों पर दबिश दी थी।इसके बाद सीबीआई ने 3 मई 2024 को केस दर्ज किया। ईडी ने अपनी जांच पूरी कर 4 मई को सबूत और दस्तावेज एसीबी को सौंप दिए थे। जेजेएम घोटाले में अब तक पीयूष जैन, पदम चंद जैन, महेश मित्तल और संजय बड़ाया की गिरफ्तारी हो चुकी है।

मुख्यमंत्री ने की जनसुनवाई

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई करते हुए आमजन की परिवेदनाओं को आत्मीयता के साथ सुना और अधिकारियों को परिवेदनाओं के निस्तारण के निर्देश दिए।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को बेहतर सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है। प्रत्येक फरियादी की समस्या को सुनना और उसका निस्तारण सुनिश्चित करना हमारी सरकार का मूलमंत्र है।

मुख्यमंत्री ने जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, राजस्व, मनरेगा, ऊर्जा एवं ग्रामीण विकास सहित विभिन्न विभागों से संबंधित परिवेदनाओं को सुना और उनका मौके पर ही निस्तारण कर आमजन को राहत दी। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित भी रहे। जनसुनवाई के दौरान जयपुर निवासी रामसिंह राजोरिया ने मुख्यमंत्री को चावल के एक दाने पर उकेरी अयोध्या स्थित रामलला मंदिर की प्रतिकृति भेंट की। शर्मा ने राजोरिया की माइक्रो आर्ट की प्रशंसा की।

आईपीएल मैचों के कीमत से अधिक रुपये के टिकट बेचने वाले गिरफ्तार

- आरोपियों के पास से मिले 1 लाख 20 हजार रुपये कीमत की टिकट

जवाहर नगर थाना पुलिस ने आईपीएल मैचों के कीमत से अधिक रुपए के टिकट बेचने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

जयपुर। जवाहर नगर थाना पुलिस ने आईपीएल मैचों के कीमत से अधिक रुपए के टिकट बेचने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 टिकट जिनकी कीमत एक लाख बीस हजार रुपए एवं एक कार सहित स्कूटी बरामद की है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व तेजस्वनी गौतम ने बताया कि जवाहर नगर थाना पुलिस ने आईपीएल मैचों के कीमत से अधिक रुपए के टिकट बेचने वाले आरोपी पुलकित गोयल (36) निवासी जनता कॉलोनी आदर्श नगर व राघव खन्ना (34) निवासी जवाहर नगर को गिरफ्तार किया गया है। जिनके पास से राजस्थान रॉयल्स व गुजरात टाइल्स के होने वाले वाले मैच के टिकट 12 हजार के टिकट 15 हजार रुपए बरामद किए गए है,जिसे आरोपित ब्लेक से बेच रहे थे। गिरफ्तार से पूछताछ में सामने आया कि संदीप नाटानी से 12 हजार रूपये प्रत्येक टिकट के हिसाब से खरीद कर तीन हजार रुपये प्रत्येक टिकट पर मुनाफा कमा कर 15 हजार रुपये बेचना स्वीकार किया है।

क्यों घटता जा रहा है राज्य भण्डारण निगम का लाभ

वर्ष 2018-19 में लाभ 108 करोड़ था, जो वर्ष 2022 में मात्र 9 करोड़ और 2023 में 12 करोड़ ही रहा

जयपुर। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की सरकार के 5 सालों ने राजस्थान राज्य भण्डारण निगम (राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन) को कंगाली की हालत में लाकर छोड़ दिया था। वर्ष 2018-19 में निगम का लाभ 108 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2022 में मात्र 9 करोड़ और 2023 में 12 करोड़ रुपए ही रहा। निगम के गोदामों की उपयोगिता भी 89 प्रतिशत से गिरकर 38 और 44 प्रतिशत ही रह गई। यह चौकाने वाले आंकड़े भण्डारण निगम की कार्यकारी निदेशक स्मिता सरीन की ओर से 24 अप्रैल 2025 को जारी प्रेस नोट में सामने आये हैं।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	लाभ (करोड़ में लगभग)	उपयोगिता (%)
1.	2018-19	108	89%
2.	2019-20	114	85%
3.	2020-21	87	87%
4.	2021-22	20	70%
5.	2022-23	9	38%
6.	2023-24	12	44%

- कार्यकारी निदेशक स्मिता सरीन का कहना है कि, ''फ़रवरी 2023 में भण्डारण निगम ने प्रदेश में 97 भंडारगृहों में से 16 भंडारगृह पर 10 वर्ष तक संग्रहण के लिए राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल को किराये पर देने के लिए एक अनुबंध किया था, जो कि कुल भण्डारण क्षमता 17.20 लाख मैट्रिक टन का मात्र 3.86 प्रतिशत हिस्सा है।''

कार्यकारी निदेशक स्मिता सरीन की ओर से कहा गया है कि, वेयर हाउस कॉरपोरेशन को राज्य अथवा केंद्र सरकार से कोई सब्सिडी या अनुदान नहीं मिलता है। इसलिए भण्डारण निगम का संचालन वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट-1962 के तहत व्यापारिक पद्दित के अनुसार वाणिज्यिक हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाता हैं।

उन्होंने बताया कि, पिछले दिनों एक समाचार पत्र में भ्रामक और सारहीन खबर प्रकाशित हुई। जबकि तथ्य यह हैं कि, फ़रवरी 2023 में राजस्थान राज्य भण्डारण निगम ने प्रदेश में 97 भंडारगृहों में से 16 भंडारगृह पर 10 वर्ष तक संठाहण के लिए राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल को किराये पर देने के लिए एक अनुबंध किया था। वर्तमान में निगम की कुल भण्डारण क्षमता 17.20 लाख मैट्रिक टन है, जिसमे से मात्र 3.86 प्रतिशत जगह इन दोनों संस्थाओ को दी गयी थी। इस अनुबंध के मुताबिक बेवरेज कॉर्पोरेशन को 44747 तथा गंगानगर शुगर मिल को 21753 मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता उपलब्ध करवाई थी, जो कि फलौदी, राजसमंद, कुचामनसिटी, नागौर, उदयपुर, नोहर, सवाईमाधोपुर, प्रतापगढ़ , सूरतगढ़ , जोधपुर (मंडोर), जोधपुर (बासनी), बांसवाड़ा, ब्यावर और नीमकाथाना में थी।

सरीन का कहना है कि बालोतरा में 3600 मैट्रिक टन क्षमता के लिए स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन और गंगानगर शुगर मिल के साथ अनुबंध किया था, परन्तु यह जगह अभी भी इन दोनों को आवंटित नहीं की गई है, क्योकि किसानो से समर्थन मूल्य पर खरीदी गई 2400 मैट्रिक टन तिलहन यथा मूंगफली और अन्य उपज संठाहित की गई है। इसके अलावा शेष 1200 मैट्रिक टन जगह ही किसान, व्यापारी और नैफेड के लिए आरक्षित की गई है।

इसी प्रकार ब्यावर में भी 6300 मैट्रिक टन में से 4500 मैट्रिक टन क्षमता ही इन दोनों संस्थाओ को दी गई थी, यहाँ भी 1800 मैट्रिक टन जगह पर नैफेड द्वारा किसानो से समर्थन मूल्य पर खरीदी गई मूंगफली की उपज रखी हुई है। सवाईमाधोपुर में भी 14590 मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता में से मात्र 19 प्रतिशत जगह इन दोनों संस्थाओ के लिए आरक्षित की गई थी। शेष 11890 मैट्रिक टन क्षमता में से 470 भण्डारण क्षमता का उपयोग प्राइवेट व्यापारियों/ट्रेडर्स और किसानो द्वारा किया जा रहा है।

देवनानी ने राज्यपाल कटारिया को विधान सभा की डायरी भेंट की

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चन्द कटारिया का सोमवार को विधानसभा पहुँचने पर पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। देवनानी ने कटारिया को राजस्थान विधान सभा में नवाचारों का एक वर्ष पुस्तक, विक्रम संवत 2082 की विधान सभा डायरी, विधान सभा के वॉल व टेबल कैलेण्डर और विधान सभा दूरभाष निर्देशिका भेंट की। देवनानी ने कटारिया का दुपट्टा पहनाकर अभिनन्दन किया।

देवनानी और कटारिया की राजस्थान विधान सभा सहित अनेक बिन्दुओं पर लगभग आधे घंटे तक चर्चा हुई। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चन्द कटारिया ने राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष देवनानी द्वारा भारतीय वर्ष के अनुसार डायरी प्रकाशन की सराहना करते हुए इसे युवा पीढी को तिथियों की जानकारी से अवगत कराने वाली अभिनव पहल बताया। देवनानी ने कहा कि विधान सभा का यह प्रकाशन अन्य राज्य विधानसभाओं के लिए भी अनुकरणीय है। देवनानी ने कटारिया को बताया कि महापुरुषों के स्मरण को बनाये रखने के लिए विधान सभा दैनन्दिनी में महापुरुषों के चित्रों को शामिल किया गया है।

पतंजलि विवि.और वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विवि.के बीच एमओयू

- कृषि, अनुसंधान और नवाचार को मिलेगा बल, उद्यमिता को मिलेगी नई उड़ान
- समझौता ज्ञापन से छात्रों के लिए नए अवसरों के द्वार खुले

हरिद्वार। पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार और वीर माधोसिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून के बीच आज शैक्षिणक एवं अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण एवं उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ओंकार सिंह ने समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि यह साझेदारी विद्यार्थियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इस समझौते के तहत योग विज्ञान, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, संबद्ध एवं अनुप्रयुक्त विज्ञानों तथा अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी के एकीकरण के माध्यम से कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। विशेष रूप से, पतंजलि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए अनुसंधान कार्यों को किसानों तक पहुँचाने के उद्देश्य से उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय परिसरों में किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे।

इस समझौते के अंतर्गत अकादमिक, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में सहयोग,कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन तथा प्रौद्योगिकी नवाचार और उद्यिमता को बढ़ावा देने पर बल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समुदायों के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे।

इस द्विपक्षीय समझौते के तहत दोनों विश्वविद्यालय मिलकर समकालीन विषयों पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक पाठ्यक्रम, संयुक्त अनुसंधान और प्रकाशन कार्य, विशेषज्ञ सलाह, संयुक्त कार्यशालाएँ, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करेंगे। साथ ही,संयुक्त पाठ्यक्रमों का संचालन, अध्ययन सामग्री का आदान-प्रदान, अस्पताल प्रबंधन से जुड़े कार्यक्रम, विशिष्ट विषयों पर शोध और रिपोर्टों का प्रकाशन भी किया जाएगा। सांस्कृतिक आदान-प्रदान,खेल प्रतियोगिताएँ और सोशल आउटरीच गतिविधियाँ भी इस सहयोग का हिस्सा होंगी। विद्यार्थियों के लिए छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रमों (स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम) के माध्यम से प्रशिक्षण,इंटर्नशिप और अनुसंधान के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

समझौता ज्ञापन के इस अवसर पर पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रो. मयंक कुमार अग्रवाल,परीक्षा नियंत्रक प्रो. अरविंद कुमार सिंह तथा उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलसचिव,परीक्षा नियंत्रक डॉ. वीके पटेल और वित्त नियंत्रक विक्रम सिंह जंतवाल सहित दोनों विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने इस समझौते को शिक्षा और शोध के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल बताया और भविष्य में इसे और विस्तार देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

परशुराम ज्ञानपीठ में मूर्ति प्रतिष्ठा पूजन का श्री गणेश

जयपुर। विप्र फाउंडेशन के नव निर्मित श्रीपरशुराम ज्ञानपीठ में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का तीन दिवसीय अक्षय अनुष्ठान सोमवार से प्रारंभ हो गया। पहले दिन जहां यजमान के रूप में पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, पूर्व डीजीपी ओमेंद्र भारद्वाज, विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम गुरुजी, केंद्रीय परियोजना समिति के चेयरमैन महावीर प्रसाद शर्मा, सीए सुनील शर्मा मुंबई, नवीन जोशी जोधपुर, सतीश शर्मा संगठन महामंत्री, इंदू शेखर शर्मा भरतपुर, राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र हर्ष प्रमुख थे। पंडित धीरज शर्मा के आचार्यत्व में हुए इस अनुष्ठान के दौरान दिनभर भवन अवलोकन करने वालों का भी तांता लगा रहा। इनमें भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद सीपी जोशी, तेलंगाना से भाजपा के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, आदि अनुष्ठान की व्यवस्थाओं में जुटे हुए थे।

'इसोफेगल स्टेंटिंग चिकित्सा प्रक्रिया मरीजों के लिए जीवनरक्षक'

डॉ.अभिनव गुप्ता

जयपुर। इसोफेगल स्टेंटिंग एक चिकित्सा प्रक्रिया है, जिसमें भोजन की नली में एक पतला, लचीला स्टेंट डाला जाता है ताकि वह संकुचन या रुकावट की स्थिति में भी खुला रह सके। यह तकनीक विशेष रूप से उन मरीजों के लिए जीवनरक्षक साबित हो सकती है जिन्हें भोजन निगलने में कठिनाई हो या जिनकी नली में ट्यूमर या चोट के कारण रुकावट हो। इस पर बताते हुए, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कंसलटेंट डॉ.अभिनव गुप्ता कहते हैं कि इसोफेगल स्टेंटिंग न सिर्फ भोजन निगलने में सहूलियत देती है, बल्कि कुछ जटिल मामलों में यह जान बचाने वाली भी हो सकती है। भोजन की नली में रुकावट या संकुचन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे: इसोफेगल का कैंसर, स्कार टिशू फाइब्रोसिस के कारण सिकुड़न, चोट या अन्य चिकित्सीय जटिलताएं। नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर में हाल ही में 90 साल के बुज़ुर्ग को बार-बार निमोनिया होने की वजह से इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ता था। उन्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जब उनकी एंडोस्कोपी की गई, तो पता चला कि उनकी भोजन नली में कैंसर है।

जिस वजह से भोजन नली में एक छेद हो गया था, जो फेफड़ों से जुड़ गया था। इसी कारण उन्हें बार-बार निमोनिया हो रहा था। इस मरीज के भोजन नली में एक स्टेंट डाला। स्टेंट की मदद से भोजन नली की रुकावट और छेद को बंद कर दिया गया। इसके बाद मरीज को वेंटिलेटर से हटा दिया गया और अब वे अपने मुँह से खाना खा पाते हैं।इसी तरह के एक मामले में 60 वर्षीय महिला नारायणा जयपुर में जो की कीमो पर थी, इसोफेगल कैंसर से ग्रसित थी और काफी समय से वह सांस की समस्या, निगलने में कठिनाई और भूख कम लगना जैसे कई मुश्किलों का सामना कर रही थी। एंडोस्कोपी की जांच में भोजन नाली काफी सुकड़ पाई गयी और हमने इसमें इसोफेगल स्टेंटिंग करके मरीज़ को भोजन नली को ठीक किया गया, साथ ही खाने की नली में जो छेद था, वह स्टेंट की मदद से ढक भी कर दिया। अब वो कीमो या रेडिएशन थेरेपी फिर से ले सकती है। इन परिस्थितियों में, वह दोनों मरीज अब आराम से खाना और तरल पदार्थ ले पा रहे हैं, और खाने की नली में जो छेद था, वह स्टेंट की मदद से ढक गया है, जिससे फेफड़ों में बार-बार इंफेक्शन और निमोनिया की समस्या भी समाप्त हो गई है। डॉ. गुप्ता के मुताबिक, यह केस बताता है कि कैसे सही समय पर की गई स्टेंटिंग एक बुज़ुर्ग मरीज़ के लिए लाइफ-सेविंग साबित हो सकती है। नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कंसलटेंट डॉ. अभिनव गुप्ता कहते हैं कि इसोफेगल स्टेंटिंग से यदि फेफड़ों और नली के बीच असामान्य संपर्क हो तो स्टेंट से उसे बंद किया जा सकता है। इसोफेगल स्टेंटिंग आज की आधुनिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में एक बहुमूल्य तकनीक बन चुकी है। न सिर्फ यह मरीजों की दैनिक जीवन की समस्याएं हल करती है, बल्कि कुछ मामलों में यह उनकी जान भी बचा सकती है।

खड़गे ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग बताकर हिन्दुओं की भावनाओं को पहुंचाई ठेस : मदन राठौड़

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल रविवार को प्रेस से रूबरू हुए।

- आज खतरे में संविधान नहीं, खतरे में गांधी परिवार का अस्तित्व : मदन दिलावर
- कांग्रेसियों के मन-मस्तिष्क में नकारात्मकता, वो नहीं बोल सकते सकारात्मक बातें : जोगाराम पटेल
- संविधान बचाओ का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी संविधान को रौंदने वाली सबसे बड़ी दोषी : राजेन्द्र राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान को हिन्दू समाज की भावना को ठेस पहुंचाने वाला बताया। राठौड़ ने कहा कि खरगे ने स्वयं को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन करार दिया है, यह हिन्दू समाज का अपमान है, मैं इसकी कडी निंदा करता हूं। खरगे एक तरफ तो देश की संसद में मल्लिकार्जुन कहने पर नाराजगी व्यक्त करते है, वहीं दूसरी ओर जनसभा में स्वयं को ज्योतिर्लिंग बता रहे है। हिन्दू समाज इसे बर्दास्त नहीं करेगा।

राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा एक ढ़ोंग है और कांग्रेसी नेता नौटंकी कर रहे है। देश में आपातकाल लगाकर संविधान की हत्या करने वाली कांग्रेस आज इसकी रक्षा के लिए यात्रा निकाल रही है। संविधान को तोड़ने वाली, संविधान का अपमान करने वाली और संविधान रचियता का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी आज वोटबैंक के चलते इस तरह कीनौटंकी कर रही है। आपातकाल ही नहीं, शाहबानो प्रकरण में भी सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस ने संविधान बदल दिया। आश्चर्य की बात है कि संविधान की हत्या और अपमान करने वाले लोग संविधान की रक्षा का स्वांग रच रहे है, यह तो वैसे ही जैसे चोर ही शोर मचा रहा हो।

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश में 93 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करके लोकतंत्र की हत्या करने का अपराध किया है। आपातकाल लगाकर संविधान को दरकिनार करके इंदिरा गांधी जो कहेगी वो ही संविधान है जैसा माहौल बना दिया। कितने आश्चर्य की बात है कि संविधान के टुकड़े-टुकड़े करने वाले लोग, संविधान को रक्तरंजित करने वाले लोग संविधान यात्रा निकाल रहे है। यह तो वैसा ही है जैसे बिल्ली 100 चूहे खाकर हज को जा रही हो। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जो देश के संविधान तक को नहीं मानते, वो संविधान के लिए बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। संविधान की हत्या करने वाले कांग्रेसियों को आज गांधी परिवार खतरे में नजर आ रहा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पर चल रहे है और उनको बचाने के लिए कांग्रेसी देश की जनता को गुमराह कर रहे है। कांग्रेसियों के मन-मस्तिष्क में नकारात्मक बातें भरी हुई है, ऐसे में वो सकारात्मक नहीं बोल सकते। कांग्रेस पार्टी एक परिवार की गुलामी से उभर ही नहीं पा रही।

पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने जयपुर के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में आयोजित संविधान बचाओ रैली पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि संविधान बचाओ का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी संविधान को रौंदने वाली सबसे बड़ी दोषी है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ओर जहां पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले को लेकर शोकाकुल है और एकजुटता का परिचय दे रहा है वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता इस हमले को लेकर केन्द्र सरकार के साथ होने की बात करते हैं लेकिन रैली में जाकर आतंकी हमले के बहाने निम्न स्तर की राजनीति करने में जुटे हैं। लोकसभा याचिका समिति के अध्यक्ष एवं सांसद सीपी जोशी ने जयपुर में संविधान बचाओं रैली के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई बयानबाजी की कड़ी भर्तसना करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का तथाकथित संविधान बचाओ अभियान न तो संविधान की रक्षा के लिए है और न ही लोकतंत्र के लिए, यह केवल बौखलाहट में स्वयं का राजनीतिक अस्तित्व बचाने की एक नाकाम कोशिश है।

सहकारिता विभाग में एक निरीक्षक एवं एक सहायक रजिस्ट्रार निलम्बित

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक के निर्देश पर सहकारिता विभाग के एक निरीक्षक एवं सहायक रजिस्ट्रार को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। निरीक्षक एवं सहायक रजिस्ट्रार के विरूद्ध एफआईआर दर्ज होने के बाद त्वरित रूप से यह कार्यवाही की गई है। इस सम्बन्ध में दो अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं।

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रधान कार्यालय, जयपुर में पदस्थापित निरीक्षक जितेन्द्र चौधरी के विरूद्ध शराब के नशे में अपनी गाड़ी से रास्ता अवरूद्ध किया जाकर राहगीरों व पुलिस अधिकारियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने तथा राजकार्य में बाधा पहुंचाने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट 26 अप्रेल को कानोता थाने में पंजीबद्ध हुई है। ऐसे में उनके विरूद्ध सी.सी.ए. नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। निलम्बन काल में जितेन्द्र चौधरी का मुख्यालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बीकानेर किया गया है।

इसी प्रकार, क्रय-विक्रय सहकारी समितियां, श्रीमाधोपुर के मुख्य कार्यकारी के पद पर कार्यरत सहायक रजिस्ट्रार हरिराम चौधरी के विरूद्ध भी उक्त प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। अत: राज्य सरकार द्वारा चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। इस सम्बन्ध में संयुक्त शासन सचिव दिनेश कुमार जांगिड़ द्वारा आदेश जारी किया गया है। निलम्बन काल में हरिराम चौधरी का मुख्यालय कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर रहेगा।